COURT FEE TWENTY RUPEES — COURT FEE TEN RUPEES INDIA

81

समक्ष : न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.कं......आर - I / 2017 निगरानी R 5514-I-17

1—सियाराम पुत्र मनीराम

2—हरिओम पुत्र सियाराम

दोनो जाति कुम्हार, हाल निवासीगण

पाली रोड, नर्सरी के सामने, श्योपुर म.प्र.

................आवेदकगण

बनाम

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर, श्योपुर

.................अनावेदक

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू.रा.सं.1959 की धारा—50 विरूद्व न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर के आदेश दिनांक 23.09.16 प्र.कं./रीडर/2016/9718 तथा उसके आधार पर तहसीलदार श्योपुर द्वारा की जा रही जॉच कार्यवाही प्र.कं. 239/15—16/बी—121 में पारित आदेश दिनांक 28.09.16

मान्यवर महोदय,

आवेदकगण की ओर निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:—

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है:—

यह कि ग्राम दलारनाखुर्द पटवारी हल्का नं. 38 रायपुरा तह. व जिला श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे कं. 55/3, 55/4 रकबा 0.314हे. सर्वे कं. 55/5मि.1 रकबा 0.135 हे. कुल शामिल रकबा 1.045 हे. (5 बीघा) आवेदक सियाराम पुत्र मनीराम के नाम स्थित है तथा भूमि सर्वे कं. 55/6 रकबा 0.711 हे., सर्वे कं. 55/7मि.1 रकबा 0.303हे. कुल किता 2 कुल रकबा 1.014 हे. (4 बीघा 17 बिस्वा) आवेदक हरिओम पुत्र सियाराम के नाम राजस्व अभिलेख खसरा पंचशाला में विधिवत भूदान कृषक के रूप में दर्ज है।

यह कि आवेदकगणों ने अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय श्योपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि आवेदकगणों की उक्त भूमि को प्राप्त हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। आवेदकगणों पर पारिवारिक कारणों से गम्भीर कर्जा होकर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, परिवार में आवेदकगणों ने पुत्र, पुत्रीयों की शादी की है एवं बहनों का भात, जामना दिया है जिससे लाखों रूपये का कर्जा हो गया है, वर्तमान में आवेदकगण कर्ज चुकाने में असमर्थ है। कर्जा देने वाले पैसे वापसी के लिये दवाब बना रहे है। आवेदकगणों के पास कर्जा चुकाने का कोई साधन नहीं है। इसलिये आवेदकगणों ने

कमंशः...............2

सियाराम हरिओम

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कंमाक निगरानी 595/-एक /2017 जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8-2-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण कंमाक/रीडर/2016/9718 आदेश दिंनाक 23.09.16 के विरूद्ध म.प्र.भू-सहिंता सन 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगणों ने कलेक्टर जिला श्योपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गई हैं आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम दलारना खुर्द पटवारी हल्का नम्बर 38 रायपुरा तहसील व जिला श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे कंमाक 55/3, 55/4 रकबा 0.314हें., सर्वे कं.55/5 मिन1 रकबा 0.155हें. कुल रकबा 1.045हें.आवेदक सियाराम के नाम स्थित है तथा सर्वे कं.55/6 रकबा 0.711हें.,सर्वे कं.55/7मि. 1रकबा 0.303हें. कुल रकबा 1.014हें. आवेदक हरीओम पुत्र सियाराम के नाम राजस्व अभिलेख खसरा पंचशाला में भूदान कृषक के रूप में दर्ज है। आवेदकगणों पर पारिवारिक खर्चो के कारण अत्यधिक कर्ज हो गया है। कर्ज चुकाने हेतु रूपयो की आवश्यकता है। आवेदकगणों के पास आय का कोई साधन नहीं हैं जिससे कर्ज चुकाया जा सकें इसलिये अपना कर्जा चुकाने हेतु उक्त भूमि को विकय किये जाने हेतु अनुमति आवेदन जिला कलेक्टर श्योपुर को	

पेश किया जिसे कलेक्टर जिला श्योपुरद्वारा उपरोक्त आवेदन पर विधिवत विचार किये बिना ही पारित आदेश दिंनाक 23.9.16 से प्रकरण को विलम्बित करते हुये तहसीलदार श्योपुर की ओर जांच प्रतिवेदन हेतु पत्र जारी कर दिया। इस प्रकार उक्त आवेदन पत्र पर विक्रय अनुमति के संबंध में सदभाविक विचार नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की इस कार्यवाही एवं आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

3–निगरानी मेमो उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4–आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि आवेदकगण अपने साथ स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत विचार नहीं किया। जबकि आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया था कि भूमि विक्रय की अनुमति सद्भावना पर आधारित है। आवेदकगणों पर अत्यधिक कर्ज हो गया है। कर्ज चुकाने का कोई साधन नहीं है। कर्जा मांगने वाले आये दिन आ रहे है जिससे दोनों आवेदकगण भारी मानसिक दबाब में है। भूमि विक्रय की अनुमति मिलने पर एक ओर कर्जा चुक जायेगा दूसरी ओर रूपयों से परिवार चलाने का अन्य साधन उत्पन्न किया जायेगा। जिससे बच्चों का ठीक तरहा से पालन पोषण हो सकें। आवेदकगणों के अभिभाषक ने यह भी बताया कि आवेदकगणों की उक्त भूमि को प्राप्त

हुये 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है इसलिये आवेदकगण को नियमानुसार भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण को भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी इस वैधानिक तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश एवं कार्यवाही वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही है। वह विधिवत न होने से निरस्त की जाये। एवं आवेदकगण को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जायें।

5- अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा वर्तमान में प्रकरण में विधिवत विचार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। अतः प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जायें।

6- उभय पक्षों के अभिभाषको के तर्को के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा आवेदकगणों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा ग्राम दलारनाखुर्द तहसील व जिला श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 55/3 ,55/4 ,55/5 ,55/6 ,55/7 भूदान विक्रय से वर्जित भूमि को विक्रय की जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर जिला श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसमें उल्लेख था कि उपरोक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात आवेदक अपना कर्जा चुका देगें और अन्य जीवन यापन का साधन करेगें। आवेदकगण को उक्त भूमि प्राप्त हुये 10वर्ष से अधिक का समय हो चुका हैं इसलिये आवेदकगण

को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके है। तब ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी जाकर आवेदकगण का आवेदन पत्र पर आदेश दिंनाक 23.9.16 से तहसीलदार श्योपुर की ओर अनावश्यक रूप से भेज दिया। इसलिये आदेश दिंनाक 23.9.16 एवं इसके आधार पर तहसीलदार श्योपुर द्वारा की जा रही जांच प्र.क.239/15–16/बी–121 में पारित आदेश 28.9.16 निरस्त किये जाने योग्य है।

7– प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट हैं कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि हैं आवेदकगण कुम्हार जाति के होकर पिछड़ा वर्ग सदस्य है। जिसके कारण भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई हैं क्योकि भूमि भूदान की है। नियमानुसार भूमि प्राप्त होने के 10वर्ष पश्चात भूमि प्राप्तकर्ता को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते है। तथा म.प्र.भू.राजस्व सहिंता केप्रावधान लागू होने से धारा 165(7ख) तथा धारा 158(3) के प्रावधान लागू होते है इस संबंध में न्याय दृष्टान्त 2011 आर.एन. 426 एवं न्याय दृष्टान्त 2004आर.एन.183 अवलोकनीय है। आवेदकगणों ने कलेक्टर श्योपुर से भूमि विक्रय करने की अनुमति उक्त नियमों के तहत मांगी गई है विक्रय की अनुमति दी जाने में किसी भी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती है किन्तु कलेक्टर श्योपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

8– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्र.क./

रीडर/2016/9718 में पारित आदेश दिंनाक 23.9.16 तथा उसके आधार पर तहसीलदार श्योपुर द्वारा की जा रही जांच कार्यवाही प्रकरण क्रमांक 239/15-16/बी121 में पारित आदेश दिंनाक 28.9.16त्रुटीपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक सियाराम को ग्राम दलारनाखुर्द पटवारी ह.न. 38 रायपुरा तहसील व जिला श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमाक 55/3 ,55/4 रकबा 0.314हें. ,सर्वे क्रमाक 55/5मि.1 रकबा 0.155हें.,कुल रकबा 1.045 हें.(केवल 5बीघा) तथा आवेदक हरीओम को भूमि सर्वे क्रमाक 55/6 रकबा 0.711हें.एवं सर्वे क्रमाक 55/7मि.1 रकबा 0.303हें. कुल रकबा 1.014हें.(केवल 4बीघा17विस्वा) भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती हैं, निर्धारित शासन गाईड अनुसार रजिस्ट्री फीस जमा कराई जावें। इस निर्देश के साथ वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल म.प्र.
ग्वालियर